CSIR – HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT GROUP
CSIR COMPLEX, LIBRARY AVENUE, PUSA, NEW DELHI – 110 012

No. Advisory/2/2023-24/EMR I Date: 17.02.2026

OFFICE MEMORANDUM

Attention is invited to the provisions contained in Clause 16 of the CSIR Junior Research Fellowships, which stipulate that *"No fellow will be allowed to join another institute without seeking prior approval from CSIR for transfer of fellowship, and if he/she joins elsewhere without approval of CSIR, his/her fellowship will be terminated. Fellowship/Associateship will stand terminated from the date of resignation."* Similar provisions exist in respect of the other fellowships offered by CSIR, viz., JRF-GATE, SRF-Direct, and RA.

Attention is also drawn to the Office Memorandum of even number dated 05.03.2024, circulated to all concerned stakeholders and displayed on the CSIR–HRDG website, wherein the above provisions of Clause 16 were reiterated in detail for information, guidance, and compliance. A subsequent communication dated 05.01.2026 was also issued by CSIR–HRDG, reminding all stakeholders to scrupulously adhere to the provisions relating to transfers.

It has, however, been observed that despite periodic reiteration of these guidelines, research fellows/associates as well as host universities/institutes/colleges have not been following them in full, resulting in rejection of transfer applications and consequent termination of fellowships. Instances have come to notice where fellows/associates have left their current host institutions and joined other institutions without awaiting CSIR's approval, which is in violation of Clause 16 of the CSIR Junior Research Fellowships. Following such rejections and terminations, fellows/associates have submitted representations to multiple authorities, in some cases citing ignorance of the guidelines and in others attributing the lapse to host institutions for not guiding them appropriately in matters relating to transfers.

In order to alleviate the difficulties being faced by CSIR fellows and associates and to ensure full compliance with the provisions relating to transfers as issued by CSIR, the following procedural aspects governing transfers are once again reiterated for the information and guidance of all concerned:

1. As per the above provisions, it is mandatory to obtain **prior approval of CSIR HRDG** for transfer of fellowship/associateship.
2. The Fellows/Associates must not withdraw from the PhD program/leave from their present Host Institutes on their own without obtaining prior approval from CSIR HRDG for transfer of fellowship.
3. The universities/institutes/colleges from where the transfer is sought must not relieve the Fellow/Associate without receiving specific approval for transfer from CSIR HRDG.
4. The universities/institutes/colleges where the transfer is proposed to be made must not allow the fellow/associate to join without receiving specific approval for transfer from CSIR HRDG.
5. Transfer of fellowship is not allowed during the last six months of the tenure.

17/02/26

Source URL: https://csirhrdg.res.in/

6. NOCs **from the supervisor and head of the department of the university/institute from where the transfer is sought and consent of the guide/host institute where the fellowship/associateship is sought to be transferred by giving reasons for the transfer are mandatory for seeking the transfer.**
7. The Checkers/Makers of the Host Institutes are advised to take note of the above instructions in letter and spirit and to forward the transfer applications of the Fellows/Associates in conformity with the above instructions.
8. **Fellowship/Associateship of such Fellow/Associate who withdraws from her/his present Host Institute and joins elsewhere without prior approval of CSIR HRDG will be terminated.**

This issues with the approval of the Competent Authority.

Trivedi 17/02/26
(Yagnesh R Trivedi)
UNDER SECRETARY, EMR I

Copy to:

1) All Directors/Vice Chancellors/Registrars/Principals of the Institutes/Universities/Colleges
2) All Research Supervisors/Guides of the Institutes/Universities/Colleges—With a request to ensure that the CSIR fellows/associates working under their supervision adhere to the contents of this communication in full.
3) All Checkers/Makers of Institutes/Universities/Colleges—with a request to bring the contents of this communication to all CSIR research fellows/associates hosted at their places.
4) All Research Fellows/Associates through CSIR HRDG website
5) Head, IT—With a request to publish this OM on the CSIR HRDG website
6) Head, Helpdesk—with a request to assist the stakeholders in line with the contents of this OM.

Source URL: https://csirhrdg.res.in/

CSIR - मानव संसाधन विकास समूह
CSIR कॉम्प्लेक्स, लाइब्रेरी एवेन्यू, पूसा, नई दिल्ली--110012

नंबर एडवाइजरी/2/2023-24/EMR I

दिनांक: 17-02-2026

कार्यालय ज्ञापन

CSIR जूनियर रिसर्च फेलोशिप के खंड -16 में निहित प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह उल्लेखित है कि " *किसी भी फेलो को फेलोशिप के स्थानांतरण हेतु CSIR से पूर्व- अनुमोदन प्राप्त किए बिना किसी अन्य संस्थान में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई फेलो CSIR के पूर्व-अनुमोदन के बिना अन्यत्र कार्यभार ग्रहण करता है, तो उसकी फेलोशिप समाप्त कर दी जाएगी। फेलोशिप/एसोसिएटशिप त्यागपत्र की तिथि से ही समाप्त मानी जाएगी।*" CSIR द्वारा दी जाने वाली दूसरी फेलोशिप, जैसे JRF GATE, SRF-Direct, और RA के संबंध में भी ऐसे ही नियम मौजूद है।

दिनांक 05.03.2024 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का भी संदर्भ लें, जिसे सभी संबंधित हितधारकों को प्रेषित किया गया था और CSIR-HRDG की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया था, जिसमें खंड-16 के उपरोक्त नियमों को सूचना, मार्गदर्शन एवं अनुपालन हेतु विस्तृत रूप से पुनरावृत्त किया गया था। तत्पश्चात, CSIR - HRDG ने दिनांक 05.01.2026 को एक अन्य सूचना जारी कर सभी हितधारकों को स्थानांतरण संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करने का स्मरण कराया था ।

तथापि, यह संज्ञान में आया है कि इन दिशा-निर्देशों को समय-समय पर दोहराए जाने के बावजूद, रिसर्च फेलो/एसोसिएट्स के साथ-साथ मेजबान विश्वविद्यालय/ संस्थान/कॉलेज द्वारा इनका पूर्णतः अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप स्थानांतरण के आवेदन अस्वीकृत किए जा रहे हैं और फेलोशिप/एसोसिएटशिप निरस्त की जा रही है। ऐसे प्रकरण सामने आए हैं जहाँ फेलो/एसोसिएट्स ने अपने वर्तमान मेजबान संस्थान को त्याग दिया है और CSIR के अनुमोदन की प्रतीक्षा किए बिना ही अन्य संस्थान में कार्यभार ग्रहण कर लिया है, जो कि CSIR जूनियर रिसर्च फेलोशिप के खंड 16 एवं अन्य संबंधित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है। ऐसी अस्वीकृति और समाप्ति के पश्चात, फेलो/एसोसिएट्स द्वारा विभिन्न उच्चाधिकारियों को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें कुछ मामलों में दिशा-निर्देशों की अनभिज्ञता का तर्क दिया गया है और अन्य में स्थानांतरण के मामलों में उचित मार्गदर्शन न देने हेतु मेजबान संस्थानों को उत्तरदायी ठहराया गया है।

CSIR फेलो और एसोसिएट्स की कठिनाइयों को न्यून करने तथा CSIR द्वारा जारी स्थानांतरण नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु, स्थानांतरण प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को सभी संबंधितों की जानकारी एवं मार्गदर्शन हेतु पुनः दोहराया जा रहा है:

1. उपरोक्त नियमों के अनुसार, फेलोशिप/एसोसिएटशिप के स्थानांतरण हेतु CSIR-HRDG से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है।
2. फेलो/एसोसिएट्स को फेलोशिप/एसोसिएटशिप स्थानांतरण हेतु CSIR-HRDG से पूर्व- अनुमोदन प्राप्त किए बिना स्वतः PhD प्रोग्राम से कार्यमुक्त नहीं होना चाहिए/अपने वर्तमान मेजबान संस्थान का परित्याग नहीं करना चाहिए ।
3. जिस विश्वविद्यालय/संस्थान/कॉलेज से स्थानांतरण अपेक्षित है, उन्हें CSIR-HRDG से स्थानांतरण हेतु विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त किए बिना फेलो/एसोसिएट को कार्यमुक्त नहीं करना चाहिए।

17/02/26

Source URL: https://csirhrdg.res.in/

4. जिस विश्वविद्यालय/संस्थान/कॉलेज में स्थानांतरण प्रस्तावित है, उन्हें CSIR - HRDG से स्थानांतरण की विशिष्ट अनुमति के बिना फेलो/एसोसिएट को कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
5. फेलोशिप की कार्यावधि के अंतिम छह माह के दौरान स्थानांतरण की अनुमति नहीं है।
6. अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) को वर्तमान विश्वविद्यालय/संस्थान के गाइड एवं विभागाध्यक्ष से तथा उस गाइड/मेजबान संस्थान से, जहाँ फेलोशिप स्थानांतरित की जानी है, स्थानांतरण के कारण सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।
7. मेजबान संस्थान के चेकर्स/मेकर्स को परामर्श दिया जाता है कि वे उपरोक्त दिशा-निर्देशों को भली-भांति नोट करें और फेलो/एसोसिएट्स के स्थानांतरण आवेदनों को उपरोक्त दिशा- निर्देशों के अनुरूप ही अग्रेषित करें।
8. ऐसे फेलो/एसोसिएट की फेलोशिप/एसोसिएटशिप तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी, जो अपने वर्तमान मेजबान संस्थान को छोड़कर CSIR-HRDG के पूर्व- अनुमोदन के बिना कहीं और कार्यभार ग्रहण करते हैं।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

यज्ञेश त्रिवेदी 17/02/26

(यज्ञेश आर त्रिवेदी)
अवर सचिव, ईएमआर।

प्रतिलिपि:

1) संस्थानों/विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के सभी निदेशक/कुलपति/रजिस्ट्रार/प्रिंसिपल
2) संस्थानों/विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के सभी अनुसंधान पर्यवेक्षक/गाइड - यह सुनिश्चित करने के अनुरोध के साथ कि उनके मार्गदर्शन में कार्यरत CSIR फेलो/एसोसिएट इस ज्ञापन की विषय-वस्तु का पूरी तरह से अनुपालन करें।
3) संस्थानों/ विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के सभी चेकर्स/मेकर्स - इस अनुरोध के साथ कि इस ज्ञापन की विषय-वस्तु को अपने संस्थान में कार्यरत सभी CSIR रिसर्च फेलो/एसोसिएट्स के संज्ञान में लाएं।
4) सभी अनुसंधान छात्रों/अध्येताओ को सीएसआई - आरएचआरडीजी वेबसाइट के माध्यम से
5) प्रमुख, आईटी – इस कार्यालय ज्ञापन को सीएसआईआर - एचआरडीजी वेबसाइट पर प्रकाशित करने के अनुरोध के साथ
6) हेड, हेल्पडेस्क - इस कार्यालय ज्ञापन की सामग्री के अनुरूप हितधारकों की सहायता करने के अनुरोध के साथ।

Source URL: https://csirhrdg.res.in/